निर्वाचन आवश्यक / शीर्ष प्राथमिकता

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या 1315/रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 14 नवम्बर, 2024

अधिसूचना (संशोधित)

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराये जाने हेतु आयोग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–1015/रा0नि0आ0–2/4240/2024 दिनांक 05 अक्टूबर, 2024 में आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त आंशिक संशोधन करते हुए भारत का संविधान के अनुच्छेद 243–ट एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 194(2) के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा–9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, **सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड,** उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज(निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण) नियमावली–1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2002) के प्राविधानों के अर्न्तगत एतद्द्वारा निम्नांकित संशोधित समय–सारणी के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश देता हूँ:–

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत निर्वाचक नामावली का संशोधित विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम–2024–25

कार्यक्रम	दिनांक	अवधि
1–संगणक द्वारा घर–घर जाकर गणना /सर्वेक्षण करना।	20.10.2024 से 25.11.2024 तक	37 दिन
2–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार करना	26.11.2024 से 29.11.2024 तक	04 दिन
3–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा करना।	30.11.2024	–
4–प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना	01.12.2024 से 28.12.2024 तक	28 दिन
5– प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केन्द्रवार तैनात किये गये कर्मचारियों को जन सामान्य के निरीक्षणार्थ उपलब्ध कराना।	29.12.2024 से 30.12.2024 तक	02 दिन

क्रमशः..............2

6– निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन।	31.12.2024	–
7– निर्वाचक नामावली का निरीक्षण कराना तथा दावा एवं आपत्तियां प्राप्त करना।	01.01.2025 से 07.01.2025 तक	07 दिन
8– प्राप्त दावे एवं आपत्तियों की जांच एवं निस्तारण करना।	08.01.2025 से 10.01.2025 तक	03 दिन
9–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार करना	11.01.2025 से 12.01.2025 तक	02 दिन
10–पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराना।	13.01.2025	–
11–पूरक सूचियों की डेटा इन्ट्री करना एवं फोटो स्टेट प्रतियां तैयार करना तथा मूल सूची के साथ संलग्न करना।	14.01.2025 से 15.01.2025 तक	02 दिन
12–तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्राप्त कराना।	16.01.2025	–
13–निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन।	17.01.2025	–

दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषय–वस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो। अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा। अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नही होगा।

निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु निर्वाचकों की **संदर्भ तिथि 01 जनवरी, 2025** निर्धारित की जाती है अर्थात पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जायेंगे, जो **01 जनवरी, 2025** को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों या पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हों।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा सभी ग्राम पंचायतों में सर्व–साधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जायेगा।

क्रमशः..............3

निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी। निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ायी जायेगी।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

संख्या: 1315/रा0नि0आ0अनु–2/4240/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूं मण्डल।
6– महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/ दूरदर्शन केंद्रों को भी प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
7– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)
8– निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
10–समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं0)/अपर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
11–निदेशक, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी केंद्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित कराने का कष्ट करें।
12–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 10 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13–आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
14–सूचना पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।
15–गार्ड फाइल

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।